प्रेस-विज्ञप्ति **12-05-2017**

दिनांक 12 मई, 2017 को प्रातः 10:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल-दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में "जी.एस.टी. पर दो दिवसीय कार्यशाला" सत्र के द्वितीय एवं अंतिम दिवस का आयोजन किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योकि इस GST व्यवस्था में व्यापार का लाभ इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर निर्भर करेगा जिसमें जरा सी चूक से व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः आगामी 30 जून को चलते हुए व्यापार में किताबो में उपलब्ध ITC, रिटर्न में उपलब्ध ITC और स्टॉक में शामिल ITC का समायोजन करके अपनी अधिकतम उपलब्ध ITC को GST में ले जाना है।

उपरोक्त विचार दिल्ली से पधारे ICAI के सेंट्रल कौंसिल सदस्य एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सीए अतुल गुप्ता ने व्यक्त किये। उन्होंने यह भी बताया कि केवल 30 जून को बकाया स्टॉक का निर्धारण, मूल्यांकन एवं उसे विभाग में जमा करने का फॉर्म, फॉर्मेट वगैरह पर अलग से एक दिन की कार्यशाला कराने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त Matching Concept पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि ITC में इसके बिना समायोजन करना असम्भव होगा जिसमें वस्तु एवं सेवा में से जो उसमें Direct लगा होगा उसी से मिलेगा।

इस तकनीकी सत्र का संचालन राजेश गुप्ता एवं अध्यक्षता नवीन भार्गव ने किया तथा धन्यवाद-ज्ञापन पद्मेश बाजपेई ने किया।

भोजनोपरांत अंतिम तकनीकी सत्र में अहमदाबाद से आये बिषन आर शाह जी ने IGST के प्रावधानों पर पकाश डालते हुए बताया कि इंटरस्टेट सप्लाई की स्थिति में IGST की लाईबिल्टी बनेगी। लेकिन इन्टरस्टेट सप्लाई कब मानी जायेगी इसके लिए बहुत ही विस्तृत नियम बनाये गए है। जिसमें Place ऑफ Supply एवं सेवा प्रदाता का स्थान निश्चित होने के बाद ही उसका अनिर्धारण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त वक्ता ने जॉब वर्क पर GST के प्रावधानों की भी चर्चा की गयी। उत्पादन कर्ताओं एवं व्यापारियों पर GST के प्रभावों की चर्चा करते हुए बताया कि इसके माध्यम से प्रत्येक राज्य का व्यापारी एक स्तर पर आ जाएगा जिससे उसको प्रतियोगिता करने में आसानी रहेगी। इस तकनीकी सत्र का संचालन शरद शेखर श्रीवास्तव, अध्यक्षता शैलेश शाह तथा धन्यवाद राजेश मिश्रा ने किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक, श्री महेश त्रिवेदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आगामी 15 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर जी.एस.टी. का बिल पारित करवाने का निश्चय कर चुकी है इस सम्बन्ध में आप लोग इस दो दिवसीय सम्मलेन से निकले निष्कर्षों एवं सुझावों की एक प्रति उपलब्ध करा दीजिएगा और में इसके अनुसार आपके विचार सदन में रखूंगा और आगे भी जब आवश्यकता होगी में कानपुर के व्यपारियों, व्यवसायीयों एवं पेशेवरों की आवाज बनकर सदन में कानपुर के कार्यों को करवाने का प्रयास करता रहूंगा।

इस सत्र में दो दिवसीय सम्मलेन के निष्कर्षों पर चर्चा हुयी जिसमें चारों तकनीकी सत्रों के सभापतियों, श्री पियूष अग्रवाल, श्री नवीन भार्गव, एवं श्री शैलेश शाह के अतिरिक्त लखनउ से पधारे सी.ए. संजय शर्मा ने अपन विचार रखे । इस सत्र कि अध्यक्षता श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला एवं संचालन सी.आई.आर.सी. चेयरमेन श्री दीप कुमार मिश्र ने किया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री मुकुल टंडन, सुनील त्रिवेदी-अधिवक्ता, प्रशांत रस्तोगी, अवधेश मिश्रा, अतुल मेहरोत्रा, वैभव गुप्ता, जीतेन्द्र पाण्डेय, आदित्य पारिख, विनय जैन, सी. बी. सिंह, नरेन्द्र कपूर, विश्वनाथ बाजपेई, प्रशांत वर्मा, अखिलेश तिवारी, संतोष गुप्ता- अधिवक्ता, गोविन्द कृष्णा, शैलेश शर्मा, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव- एम.सी.यू.पी. ।

सधन्यवाद